

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक - वि० प्रा० (I) स्था०-01/2017/  
सेवा में,

/पटना, दिनांक -

\*अनौपचारिक  
रूप से  
परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा - वित्त विभाग\*

विषय -

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) के मापदण्ड एवं सवर्ग संरचना के अनुसार विभागान्तर्गत 30 राजकीय पोलिटेकनिक एवं- 2 राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में आवश्यक- 266 शैक्षणिक पदों के सृजन तथा अप्रसांगिक- 135 शैक्षणिक पदों के प्रत्यापण की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश - स्वीकृत।

राज्य सरकार ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के माप दण्डों के अनुरूप विभागान्तर्गत तीस राजकीय पोलिटेकनिक एवं दो राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में आवश्यक विभागाध्यक्ष-55 (वेतनमान रु० PB4+9000) एवं व्याख्याता- 211 (वेतनमान रु० PB3+5400) अर्थात् कुल 266 (दो सौ छियासठ) पदों के अतिरिक्त सृजन तथा अप्रसांगिक विभागाध्यक्ष-2 (वेतनमान रु० PB4+9000), सह-प्राध्यापक-1 (वेतनमान रु० PB4+9000), कर्मशाला अधीक्षक-1, (वेतनमान रु० PB4+8000), वरीय व्याख्याता-26, (वेतनमान रु० PB3+8000) एवं व्याख्याता-105 (वेतनमान रु० PB3+5400), अर्थात् कुल 135 (एक सौ पैंतीस) पदों के प्रत्यापण (संस्थानवार सूची संलग्न) की स्वीकृति प्रदान की है।

2. पदों के सृजन एवं प्रत्यापण के फलस्वरूप कुल रु० 1253.00 लाख (बारह करोड़ तिरपन लाख रुपये) मात्र का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है, जिसका वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट के मुख्यशीर्ष- 2203-तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-105-बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय, माँग संख्या-43, उपशीर्ष-0001-प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (विपत्र कोड-43-2203001050001) में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 3758 वि/(2), दिनांक 31.05.2017 में अंकित प्रावधानुसार मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के आलोक में वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जाता है।  
अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव,

ज्ञापांक- वि० प्रा० (I) स्था०-01/2017/ 1184 /पटना, दिनांक - 11.5.2018

प्रतिलिपि - सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार/उप निदेशक (सो.)/सभी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/सभी विभागीय पदाधिकारी/ बजट सहायक/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई.टी. मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विभागान्तर्गत 32 राजकीय पोलिटिकल/राजकीय महिला पोलिटिकल संस्थानों में ए.आई.सी.टी.ई. (2016-17) द्वारा संसद सभ संघना के अनुसूच संस्थानगत आंतरायक अधिसूचना एवं की तिथियाँ :-

| क्रमांक | संस्थान का नाम   | संस्थान में ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा संसद सभ संघना में एवं एवं पोलिटिकल पार्टी की संख्या (अभार वर्ष 2016-17) | संस्थान में एवं में आंतरायक अधिसूचना के क्रमांक एवं तिथि  | प्राचीन एवं नए पोलिटिकल संस्थानों के क्रमांक एवं तिथि | कुल राजकीय संसद संघना     | कुल राजकीय संसद संघना      | कुल राजकीय संसद संघना     | कुल राजकीय संसद संघना     |
|---------|--|--|---|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1       | 2  | 3  | 4   | 5   | 6                         | 7                          | 8                         | 9                         |
| 09      | महान राजकीय पोलिटिकल पार्टी-13<br>कुल राजकीय संसद संघना = 330<br>कुल राजकीय संसद संघना = 690<br>ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुसूचित राजकीय संसद संघना के आंतरायक अधिसूचना कुल राजकीय संसद संघना = 30 (ए.आई.सी.टी.ई.) | संस्थान में ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा संसद सभ संघना में एवं एवं पोलिटिकल पार्टी की संख्या (अभार वर्ष 2016-17) | संस्थान में एवं में आंतरायक अधिसूचना के क्रमांक एवं तिथि  | प्राचीन एवं नए पोलिटिकल संस्थानों के क्रमांक एवं तिथि | कुल राजकीय संसद संघना     | कुल राजकीय संसद संघना      | कुल राजकीय संसद संघना     | कुल राजकीय संसद संघना     |
|         |  | द्वितीय संसद संघना   | प्राचीन - 1<br>विभागगत - 0<br>वर्धित संसद संघना - 0<br>आंतरायक - 0  |   |                           |                            |                           |                           |
|         |  | (I) राजकीय अधिसूचना - 60 प्रतिवर्ष<br>3-वर्षीय संसद संघना में कुल संसद संघना = 180                       | विभागगत - 0<br>वर्धित संसद संघना - 0<br>आंतरायक - 0   |   |                           |                            |                           |                           |
|         |  | (II) द्वितीय अधिसूचना - 60 प्रतिवर्ष<br>3-वर्षीय संसद संघना में कुल संसद संघना = 180                     | विभागगत - 0<br>वर्धित संसद संघना - 0<br>आंतरायक - 0   |   |                           |                            |                           |                           |
|         |  | (III) राजकीय अधिसूचना - 60 प्रतिवर्ष<br>3-वर्षीय संसद संघना में कुल संसद संघना = 180                     | विभागगत - 0<br>वर्धित संसद संघना - 0<br>आंतरायक - 0   |   |                           |                            |                           |                           |
|         |  | (IV) अनुसूचित अधिसूचना - 60 प्रतिवर्ष<br>3-वर्षीय संसद संघना में कुल संसद संघना = 180                    | विभागगत - 1<br>वर्धित संसद संघना - 0<br>आंतरायक - 5   |   |                           |                            |                           |                           |
|         |  | (V) अनुसूचित संसद संघना - 60 प्रतिवर्ष<br>3-वर्षीय संसद संघना में कुल संसद संघना = 180                   | विभागगत - 0<br>वर्धित संसद संघना - 0<br>आंतरायक - 2   |   |                           |                            |                           |                           |
|         |  | (VI) अनुसूचित संसद संघना - 30 प्रतिवर्ष<br>3-वर्षीय संसद संघना में कुल संसद संघना = 90                   | विभागगत - 0<br>वर्धित संसद संघना - 0<br>आंतरायक - 2   |   |                           |                            |                           |                           |
|         |  | सभी संसद संघनाओं के लिए समीक्षा रूप में विवरण एवं संसद संघना   | कमिश्नरी अधिसूचना - 2<br>विभागगत (प्राचीन) - 2<br>विभागगत (वर्धित) - 2<br>विभागगत (संसद संघना) - 1<br>विभागगत (अनुसूचित) - 1<br>विभागगत (अनुसूचित संसद संघना) - 1 | कमिश्नरी अधिसूचना - 2<br>विभागगत (संसद संघना) - 1     | कुल राजकीय संसद संघना - 3 | कुल राजकीय संसद संघना - 11 | कुल राजकीय संसद संघना - 4 | कुल राजकीय संसद संघना - 1 |

संसद संघना  
संसद संघना

संसद संघना  
संसद संघना